## बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

पत्रांकः–......................./ पटना, दिनांक.........................

*04/उ०वि०(सरकार)विविध–65/2018*

प्रेषक,

अपर सचिव,
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

**विषयः– वित्तीय वर्ष–2018–19 में विकास भवन के तृतीय तल पर स्थित उद्योग विभाग के सभाकक्ष की मरम्मति से संबंधित प्राक्कलित राशि 14,25,999.00 (चौदह लाख पचीस हजार नौ सौ निनानवे) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–6792(अनु0), दिनांक–26.10.2018 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष–2018–19 में विकास भवन के तृतीय तल पर स्थित उद्योग विभाग के सभाकक्ष की मरम्मति से संबंधित प्राक्कलित राशि 14,25,999.00 (चौदह लाख पचीस हजार नौ सौ निनानवे) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना को नामित किया गया है।

3. तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राशि का व्यय वहन बजट मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औधोगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उप शीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओ का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23–2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के मूल आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है। राशि की निकासी BTC फॉर्म 25 पर पूर्व प्रमाणक के आधार पर की जाएगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे।

6. यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

7. इस राशि का भुगतान **THE EXECUTIVE ENGINEER, Centeral Building Division, Building Construction Department, Patna** को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 04/उ0वि0 (स0) विविध–65/2018 के पृष्ट 16/टि0 दिनांक 13.03.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................... /                                   पटना, दिनांक..........................

*03/उ०नि०/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013*

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................... /                                   पटना, दिनांक..........................

*03/उ०नि०/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013*

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....1448..... /                                   पटना, दिनांक...14.03.19...

*03/उ०नि०/योजना(प्रचार एवं प्रकाशन)–13/2013*

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.19

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

14.3.19

(3)

1.7